कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव,जिला–रायपुर (छ.ग.)

क्रं./73/न.पा.नि./जलप्रदाय शाखा/2021–22 बीरगांव,दिनांक 24/05/2021

वार्षिक निविदा 2021–22 मैन्यूअल पद्धति निविदा आमंत्रण

निकाय क्षेत्रान्तर्गत स्थापित हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु खोलना/डालना, नया हैण्ड पम्प स्थापना (लेबर वर्क) तथा प्लेटफार्म निर्माण कार्य (सामग्री एवं लेबर सहित) हेतु पात्र फर्मो से मुहरबंद निविदाएं तीन लिफाफा पद्धति में स्पीड पोस्ट/रजिस्ट्री डॉक से आमंत्रित हैं। निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 07.06.2021 अपरान्ह 3.00 बजे तक। निविदा प्रपत्र जारी करने की अंतिम तिथि 08.06.2021 सायं 5.00 बजे तक। निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि 15.06.2021 अपरान्ह 3.00 बजे तक। प्राप्त निविदाओं को खोलने की तिथि 15.06.2021 सायं 4.00 बजे।

कार्य समूह कं.	कार्य क्षेत्र	अनुमानित लागत राशि (लाख रू. में)
1	उरला वार्ड 01 से 05	4.70
2	अछोली वार्ड 06 से 08	3.00
3	रांवाभांठा वार्ड 09 से 15	5.60
4	उरकुरा वार्ड 16 से 19	3.20
5	बीरगांव वार्ड 20 से 27	6.50
6	बीरगांव वार्ड 28 से 36	7.50
7	सरोरा वार्ड 37 से 40	3.50

निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से तथा साथ ही यह जानकारी नगर पालिक निगम बीरगांव की वेबसाईट www.nagarnigambirgaon.com अथवा संचालनालय की बेबसाईट www.uad.cg.gov.in से भी डाउनलोड की जा सकती है।

नगर पालिक निगम .(छ. ग.) बीरगांव

आयुक्त

पृ. क्रं./74/न.पा.नि./जलप्रदाय शाखा/2021–22 बीरगांव,दिनांक 24/05/2021

प्रतिलिपि :–

01. निज सहायक, मान. मंत्री जी, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
02. निज सहायक, मान. विधायक, रायपुर ग्रामीण की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
03. संपादक, दैनिक समाचार पत्र.. रायपुर की ओर समाचार पत्र के आगामी साधारण अंक में एक दिवस न्यूनतम स्पेश में प्रकाशन हेतु सादर प्रेषित। कृपया प्रकाशन उपरांत प्रकाशित समाचार पत्र की कम से कम दो प्रतियों के साथ देयक भुगतान हेतु प्रेषित करने का कष्ट करेंगे।
04. डॉटा सेन्टर,संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर, छ.ग. की ओर संचालनालय की बेबसाईट www.uad.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु।
05. कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव,जिला–रायपुर (छ.ग.) नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु सादर प्रेषित।

आयुक्त
नगर पालिक निगम बीरगांव
जिला–रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, बीरगांव, जिला–रायपुर (छ.ग.)

//निविदा की शर्तें//

नया हैण्डपम्प लगाना अथवा मरम्मत हेतु खोलना/डालना कार्य (लेबर वर्क) (2021–22)

मैन्यूअल पद्धति निविदा आमंत्रण सूचना Ist Call (Tender Notice No. 73/24-05-2021)

01. निविदा के प्रत्येक समूह के लिए अलग–अलग आवेदन करना अनिवार्य है।
02. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
03. निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है।
04. **निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु पात्रता :–**

(1) एकीकृत पंजीयन से पंजीकृत ठेकेदार का सक्षम श्रेणी में जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र

(2) यदि पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर शीप डीड प्रमाण पत्र

(3) पैन कार्ड

(4) जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र।

(5) वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 का आई.टी.आर.।

(6) राजस्व शोध क्षमता प्रमाण पत्र अथवा बैंक साल्वेंसी/बैंक गारंटी – कण्डिका 06 अनुसार राजस्व शोध क्षमता प्रमाण पत्र अथवा बैंक साल्वेंसी अथवा बैंक गारंटी। जो कि 12 माह से अधिक पुरानी न हो।

(7) प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण–पत्र।

(8) नगरीय निकायों में हैण्ड पम्प डालना तथा मरम्मत हेतु खोलना/डालना कार्य का अनुभव प्रमाण–पत्र।

स.कं. 04 (1) से 04 (8) तक सभी दस्तावेजों की नोटरी द्वारा सत्यापित प्रतियां जमा करना अनिवार्य होगी। पात्रता परीक्षण उपरांत पात्र होने की दशा में ही निविदा प्रपत्र प्रदाय की जावेगी।

(9) विभाग/संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का रू. 100/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ–पत्र की मूल प्रति।

05. यदि निविदाकार एक से अधिक समूह में निविदाएं प्रस्तुत करना चाहता है तो प्रत्येक निविदा समूह के लिए कण्डिका कं. (04) के अनुसार नोटरी द्वारा सत्यापित दस्तावेजों का पृथक–पृथक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।
06. **अमानत राशि, बैंक साल्वेंसी व निविदा प्रपत्र मूल्य :–** अमानत राशि आयुक्त, नगर पालिक निगम, बीरगांव के नाम से भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनुसूचित बैंकों के **एफ.डी.आर.** के रूप में स्वीकार की जावेगी। अमानत राशि, बैंक साल्वेंसी व निविदा प्रपत्र मूल्य निम्नानुसार होगा :–

कार्य समूह कं.	कार्य क्षेत्र	अनुमानित लागत राशि (लाख रू. में)	अमानत राशि रू. (एफ.डी.आर.)	बैंक साल्वेंसी/बैंक गारंटी मूल्य रू.	निविदा प्रपत्र मूल्य रू.
1	उरला वार्ड 01 से 05	4.70	5000.00	25000.00	750.00
2	अछोली वार्ड 06 से 08	3.00	3000.00	25000.00	750.00
3	रांवांभांठा वार्ड 09 से 15	5.60	6000.00	300000.00	750.00
4	उरकुरा वार्ड 16 से 19	3.20	4000.00	25000.00	750.00
5	बीरगांव वार्ड 20 से 27	6.50	7000.00	300000.00	750.00
6	बीरगांव वार्ड 28 से 36	7.50	8000.00	300000.00	750.00
7	सरोरा वार्ड 37 से 40	3.50	4000.00	25000.00	750.00

07. **लाख चापड़ा से सीलबंद निविदाएं ही स्वीकार की जावेगी।**
08. लिफाफा 'अ' में अमानत राशि एवं लिफाफा 'ब' में निविदा प्रपत्र देना होगा।
09. पहले लिफाफा 'अ' अर्थात् अमानत राशि का लिफाफा खोला जावेगा। पर्याप्त अमानत राशि का एफ.डी.आर. अथवा डी.डी. संलग्न होने पर ही लिफाफा 'ब' खोला जावेगा। अन्यथा निरस्त कर दिया जावेगा।
10. दरें समस्त कर सहित तथा कुल लागत सहित प्रस्तुत करनी होगी। प्रस्तुत दर के अतिरिक्त अन्य कोई राशि भुगतान नहीं की जावेगी।

11. जो निविदाकार नगर पालिक निगम बीरगांव कार्यालय से निविदा प्रपत्र कय करना चाहते हैं वे निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन की अंतिम तिथि तक कण्डिका कं. (04) एवं (05) अनुसार दस्तावेज मय आवेदन निकाय में जमा कर सकते हैं। पात्र होने की दशा में निविदाकार द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने पर निविदा प्रपत्र जारी करने की अंतिम तिथि तक निकाय स्तर से निविदा प्रपत्र जारी की जावेगी।
12. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नगरीय निकायों के लिए निर्धारित निविदा प्रपत्र **"बी"** नगर पालिक निगम बीरगांव व विभाग की वेबसाईट में उपलब्ध है। जो निविदाकार नगर पालिक निगम बीरगांव की वेबसाईट www.nagarnigambirgaon.com अथवा संचालनालय की बेबसाईट www.uad.cg.gov.in से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करना चाहते हैं, उन्हें कण्डिका कं. (04) एवं (05) अनुसार नोटरी द्वारा सत्यापित दस्तावेजों का पृथक–पृथक सेट प्रत्येक निविदा समूह के लिए पात्रता दस्तावेज व आयुक्त, नगर पालिक निगम,बीरगांव के नाम से निविदा प्रपत्र के मूल्य के बराबर की डी.डी. को लिफाफा 'अ' एवं लिफाफा 'ब' के बाहर अर्थात् सबसे बाहरी लिफाफा के अंदर रखना होगा। जिस पर निविदा प्रपत्र मूल्य का डी.डी. लिखना होगा। निविदा प्रपत्र के मूल्य के बराबर की डी.डी./एफ.डी.आर. व पात्रता हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरांत, पात्र होने की दशा में ही कण्डिका कं. (09) अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
13. मरम्मत सामग्री यथा हैण्ड पम्प, पाईप आदि निकाय की ओर से निकाय स्टोर से उपलब्ध कराई जावेगी।
14. निकाय स्टोर से निकाय क्षेत्र में जहां मरम्मत की जानी है अथवा नया पम्प डाली जानी है वहां तक परिवहन निकाय द्वारा किया जावेगा।
15. मरम्मत कार्य अथवा नया पम्प स्थापना में जो भी श्रमिक, सुपरवाईजर संलग्न रहेंगे उनकी पूर्ण बीमा में होने वाला व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किया जावेगा। दुर्भाग्यवश यदि कोई दुर्घटना होती है तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
16. **आमंत्रित दर/अनुबंध की अवधि सामान्यतः कार्यादेश तिथि से 12 माह के लिए होगी। वैश्विक महामारी/आपदा के समय अथवा आवश्यकता पड़ने पर कार्य कुशलता ठीक पाये जाने की स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति पर कार्यावधि में वृद्धि की जा सकती है अथवा अगले वित्तीय वर्ष के लिए कार्यावधि के पूर्व नया टेण्डर किया जा सकता है।**
17. दरें समस्त कर सहित तथा कुल लागत सहित प्रस्तुत करनी होगी। प्रस्तुत दर के अतिरिक्त अन्य कोई राशि भुगतान नहीं की जावेगी।
18. श्रम विभाग से अनुज्ञप्ति नहीं होने पर विनियोजित ठेकेदार को संविदा श्रमिक अधिनियम की धारा 12 नियम 21 के अंतर्गत श्रम विभाग से अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
19. अति आवश्यक सेवा से संबंधित कार्य, कार्य की प्रकृति अनुसार अधिकतम 03 दिवस अथवा तत्काल पूर्ण करनी होगी।
20. जो भी निविदा निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होगी, वह नहीं खोली जावेगी तथा वापस लौटा दी जावेगी।
21. अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा प्रपत्र प्रदाय अथवा निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में निविदा प्रदाय/निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जावेगा।
22. कार्य की लागत/मात्रा में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। जिसमें कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
23. सामग्री/कार्य की आवश्यकतानुसार ही कार्यादेश जारी किए जावेंगे।
24. निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर ठेकेदार के देयक से निविदा/संविदा की शर्तों के अनुसार कटौती की जावेगी/निविदा निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी। पुनः निविदा कर अन्तर की राशि निविदाकार से वसूली की जावेगी।
25. अनुबंध अनुसार नियम एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
26. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार आयुक्त,नगर पालिक निगम बीरगांव के पास सुरक्षित रहेगा।
27. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त,नगर पालिक निगम बीरगांव का निर्णय सर्व मान्य होगा।

कार्यालय नगर पालिक निगम (छ.ग.) बीरगांव

आयुक्त
नगर पालिक निगम,बीरगांव
जिला–रायपुर (छ.ग.)